झारखण्ड सरकार
विधि विभाग

झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024

विषय–सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।

2. झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (झारखण्ड अधिनियम– 12, 2017) की धारा 2 में संशोधन।

3. धारा 24 में संशोधन।

4. झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (झारखण्ड अधिनियम– 12, 2017) के साथ संलग्न अनुसूची– III में संशोधन।

झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (झारखण्ड अधिनियम 12, 2017) में संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवे वर्ष में झारखण्ड के राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो -

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ। (1) यह अधिनियम झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत होंगे, जो झारखण्ड सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश है।

2. धारा 2 का संशोधन।

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,-

(क) खंड (80) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

'(80क) "ऑनलाइन गेम खेलना" से इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऑनलाइन धनीय गेम खेलना भी है ;

(80ख) "ऑनलाइन धनीय गेम खेलना" से ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना अभिप्रेत है, जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन में, जिसमें गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी है, धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य का संदाय या जमा करता है, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, चाहे इसका परिणाम या निष्पादन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं, तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञेय हो या नहीं ;';

(ख) खंड (102) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(102क) "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे" से,-

(i) दांव लगाने ;

(ii) कैसिनो ;

(iii) द्यूतक्रीड़ा ;

(iv) घुड़दौड़ ;

(v) लाटरी ; या

(vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना,

में अंतर्वलित या उनके माध्यम मे अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है ।';

(ग) खंड (105) में, अंत में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति की व्यवस्था या ठहराव करता है, जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है, जो ऐसी पूर्ति के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का स्वामी है या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, ऐसे अनुयोज्य दावों का पूर्तिकार समझा जाएगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावे, उसके द्वारा या उसके माध्यम से पूर्ति किए जाते हों और चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति के लिए धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, में प्रतिफल, उसको या उसके माध्यम से संदत्त या सूचित किए जाते हैं या किसी भी रीति में उसको दिए जाते हैं, और इस अधिनियम के सभी उपबंध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे पूर्तिकार को लागू होंगे, मानो वह ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति करने के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी पूर्तिकार हो।";

(घ) खंड (117) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

'(117 क) "आभासी डिजिटल आस्ति" का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (47क) में उसका है;'।

3. धारा 24 का संशोधन।

मूल अधिनियम की धारा 24 में, -

(क) खंड (xi) में, अंत में, "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (xi) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात : -

"(xiक) भारत से बाहर किसी स्थान मे, भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ; और"।

4. अनुसूची 3 का संशोधन।

मूल अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 6 में, "लाटरी, दांव और द्यूत" शब्दों के स्थान पर, "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों" शब्द रखे जाएंगे।

5. संक्रमणकालीन उपबंध।

इस अधिनियम के अधीन किए गए संशोधन, दांव लगाने, कैसिनो, द्यूतक्रीड़ा, घुड़दौड़, लाटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करने का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधो पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेंगे।

उदेश्य एवं हेतु

केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों को राज्य में कियान्वित करने हेतु झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा– 2, 24 एवं Schedule- III में संशोधन की आवश्यकता है ताकि उक्त अधिनियम के तत्संबंधी धाराओं में अनुभूत व्यवहारिक कठिनाईयों एवं प्रशासनिक उदेश्यों की पूर्ति हो सके।

एतदर्थ झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 के माध्यम से झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(रामेश्वर उरॉव)
भार साधक सदस्य

वित्तीय संलेख

केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों को राज्य में क्रियान्वित करने हेतु झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा– 2, 24 एवं Schedule- III में संशोधन की आवश्यकता है। उक्त संशोधनों से राज्य के आंतरिक संसाधन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, कतिपय संशोधनों से राज्य के व्यवसायियों को सहूलियत होगी।

प्रस्तावित **झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024** पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

(रामेश्वर उरॉव)
भार साधक सदस्य